Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में सीनियर सेक्शन इंजिनियर (यू.एस.एफ.डी.) रेल्वे मंडल, कोटा को 35 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *23 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की कोटा इकाई द्वारा आज मंगलवार को कोटा में देर रात कार्यवाही करते हुये धनश्याम शर्मा सीनियर सेक्शन इंजिनियर यू.एस.एफ.डी. रेल्वे मंडल, कोटा को 35 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पश्चिम मध्यम रेल्वे मंडल में आठ पिकवैन चलाने के टेण्डर के बकाया बिल पास करने की एवज में धनश्याम शर्मा सीनियर सेक्शन इंजिनियर (यू.एस.एफ.डी.) रेल्वे मंडल, कोटा द्वारा 7 प्रतिशत कमीशन की मांग रिश्वत के रूप में मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री अजीत बगडोलिया एवं उनकी टीम** के द्वारा कोटा में ट्रेप कार्यवाही करते हुये **धनश्याम शर्मा** पुत्र श्री झंडूराम शर्मा निवासी ग्राम गुरधानी दी पोस्ट खेड़ली, तहसील व थाना बयाना, जिला भरतपुर हाल निवासी फ्लेट नं0 102बी, मंगल भवन बाल मंदिर स्कूल के पास, कोटा हाल **सीनियर सेक्शन इंजिनियर (यू.एस.एफ.डी.) रेल्वे मंडल, कोटा** को परिवादी से 35 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से 10 हजार रुपये प्राप्त कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।